[2008] 14 एस.सी.आर. 385

आयकर आयुक्त, II, तिरुचिरापल्ली

बनाम

सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड

(2006 की दीवानी अपील संख्या 2690)

13 अक्टूबर, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत एवं डॉ. मुकुंदकम शर्मा, न्यायमूर्तिगण]

ब्याज कर अधिनियम, 1974:

धारा 2(7) - बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों पर अर्जित ब्याज - अभिनिर्धारित: न्यायाधिकरण तथ्यात्मक स्थिति की जांच करेगा और तदनुसार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में निर्णय लेगा - आयकर अधिनियम, 1961।

वर्तमान अपील में, न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या निर्धारिती बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों पर अर्जित ब्याज, ब्याज अधिनियम, 1974 की धारा 2(7) के तहत कर-निर्धारण के योग्य था।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारित : न्यायाधिकरण को इस तथ्यात्मक स्थिति की जांच करने दी जाए कि क्या वर्तमान मामले में शामिल ब्याज सरकारी प्रतिभूतियों पर है। यदि ऐसा है, तो कॉर्पोरेशन बैंक* **के मामले में दिए गए निर्णय का अनुपात मामले के तथ्यों पर लागू होगा और यदि अर्जित ब्याज केवल सरकारी प्रतिभूतियों पर नहीं है, तो उक्त निर्णय लागू नहीं होगा।**

आयकर आयुक्त बनाम कॉर्पोरेशन बैंक **2008(166) टैक्समैन 388 - संदर्भित।**

नजीर संदर्भ

2008(166) टैक्समैन 388 संदर्भित कंडिका 3

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2006 की दीवानी अपील संख्या 2690

मद्रास उच्च न्यायालय के टी.सी. (ए) संख्या 2005 के 797 और 798 में दिनांक 20.10.2005 के अंतिम निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ताओं की ओर से मोहन परासरन, ए.एस.जी., वी. शेखर, एच. राघवेंद्र राव, गौरव धींगरा, डी.एल. चिदानंद और बी.वी. बलराम दास।

उत्तरदाताओं की ओर से जयश्री वाड, आशीष वाड, नीरज कुमार, चिराग एस. दवे, राजेश कुमार, सतीश अग्रवाल, वी. प्रभाकर, रामजी प्रसाद, एम.के.डी. नंबूदरी, आर.एस. सूरी, चिन्मय खलदकर, एस.के. नंदी और रेवती राघवन (मैसर्स जे.एस. वाड एंड कंपनी की ओर से)।

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा सुनाया गया:

डॉ. अरिजित पसायत, न्यायमूर्ति। 1. इस अपील में चुनौती मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा राजस्व द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 260ए के साथ पठित ब्याज कर अधिनियम, 1974 (संक्षेप में 'ब्याज अधिनियम') की धारा 24 के तहत दायर अपीलों के एक समूह में पारित अंतिम आदेश के निर्णय को दी गई है। इसमें शामिल प्रश्न यह था कि क्या निर्धारिती बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों पर अर्जित ब्याज, ब्याज अधिनियम की धारा 2(7) के तहत कर-निर्धारण के योग्य था? आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') ने माना कि यह कर-योग्य नहीं था। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा न्यायाधिकरण के दृष्टिकोण को बरकरार रखा। राजस्व ने उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ वर्तमान अपील दायर की। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय का यह मानना न्यायसंगत नहीं था कि ऋण और अग्रिमों में प्रतिभूतियों,

बांडों, डिबेंचरों पर ब्याज शामिल नहीं है और इसलिए ब्याज अधिनियम के प्रावधानों के तहत कर के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिभूतियों पर ब्याज, ब्याज अधिनियम की धारा 2(7) के तहत परिभाषित "कर-योग्य ब्याज" के अर्थ के अंतर्गत आता है।

2. दूसरी ओर, उत्तरदाता, निर्धारिती-बैंक के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायाधिकरण के निर्णय का समर्थन किया जिसे उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था।

3. इसी तरह का एक प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष *आयकर आयुक्त बनाम कॉर्पोरेशन बैंक* (2008 (166) टैक्समैन 388) में विचार के लिए आया था। इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया था:

> "विशेष अनुमति याचिकाओं में अनुमति प्रदान की जाती है।
>
> दीवानी अपीलों के इस समूह में उत्पन्न होने वाला संक्षिप्त बिंदु यह है कि क्या निर्धारितियों-बैंकों द्वारा दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों पर अर्जित ब्याज, ब्याज कर अधिनियम, 1974 की धारा 4 के साथ पठित धारा 2(7) के तहत कर-निर्धारण के योग्य था। हमारे विचार में, एक तरफ ऋण और अग्रिमों तथा दूसरी तरफ निवेश/प्रतिभूतियों के बीच एक बुनियादी अंतर है। यह अंतर आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम के साथ-साथ बैंक विनियमन अधिनियम के प्रावधानों में दर्शाया गया है। इन पहलुओं पर बॉम्बे उच्च न्यायालय के दो निर्णयों में विस्तार से चर्चा की गई है, अर्थात् डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम एस.के. भारद्वाज, सीआईटी जो मनु/एमएच/0628/2002` में सूचित किया गया है, और साथ ही बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय में जो सीआईटी बनाम यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड के मामले में मनु/एमएच/0629/2002` में सूचित किया गया है। यह विवाद में नहीं है कि राजस्व ने

बॉम्बे उच्च न्यायालय के उपरोक्त दोनों निर्णयों को स्वीकार कर लिया है। हम बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं।

उपरोक्त कारणों से विभाग द्वारा दायर दीवानी अपीलों में कोई योग्यता नहीं है। इन्हें खारिज किया जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।"

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय का निर्णय केवल सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज से संबंधित था। निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में अर्जित ब्याज सरकारी प्रतिभूतियों पर था। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस रुख से इंकार किया गया है। न्यायाधिकरण को इस तथ्यात्मक स्थिति की जांच करने दी जाए कि क्या वर्तमान मामले में शामिल ब्याज सरकारी प्रतिभूतियों पर है। यदि ऐसा है, तो *कॉर्पोरेशन बैंक के मामले* (उपरोक्त) में दिए गए निर्णय का अनुपात वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होगा और यदि अर्जित ब्याज केवल सरकारी प्रतिभूतियों पर नहीं है, तो निर्णय का कारण लागू नहीं होगा।

5. अपील तदनुसार निस्तारित की जाती है।

आर.पी. अपील निस्तारित।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।